

प्रेस नोट

दिनांक 18.10.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा बैंक ऋण घोटाले में 02 नामजद आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण—

थाना कोतवाली नगर पर वादी भुवन चन्द्र सती, सहायक महाप्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक, उ0प्र0 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लि0 शाखा गोण्डा की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 45/2026 धारा 319(2)/318(4)/336(3) /338/340(2) /316(5)/ 3(5)/61(2)(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। तहरीर में बैंक की गोण्डा शाखा में ऋण वितरण में अनियमितता, फर्जी/कूटरचित अभिलेखों के प्रयोग, बैंक के आन्तरिक खातों से अनधिकृत धनराशि आहरण तथा विभिन्न खाताधारकों के खातों से धनराशि के दुर्विनियोग/अपहरण के आरोप लगाए गए हैं। स्पेशल ऑडिट की अन्तरिम रिपोर्ट के अनुसार कुल ₹2147.78 लाख की धनराशि के अनियमित अन्तरण/दुर्विनियोग का प्रकरण प्रकाश में आया है।

कार्यवाही—

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामजद अभियुक्तगण जय प्रताप सिंह एवं राज प्रताप सिंह को पूछताछ एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 18.10.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

1. **जय प्रताप सिंह** पुत्र पवन कुमार पाल, निवासी निकट एन0एस0एस0 विद्यालय, कृष्णानगर कालोनी, परिक्रमा मार्ग, जनौरा, थाना कोतवाली नगर, जनपद अयोध्या।
2. **राज प्रताप सिंह** पुत्र पवन कुमार पाल, निवासी निकट एन0एस0एस0 विद्यालय, कृष्णानगर कालोनी, परिक्रमा मार्ग, जनौरा, थाना कोतवाली नगर, जनपद अयोध्या।

पंजीकृत अभियोग—

01- मु0अ0सं0 45/2026 धारा 319(2)/318(4)/336(3)/338/340(2)/316(5)/3(5)/61(2)(1) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

- 01- उ0नि0 सोनू कुमार
- 02- उ0नि0 शुभांशु पाठक
- 03- का0 रामनाथ सिंह
- 04- का0 अमित तोमर

मीडिया सेल. गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 18.10.2026

परिवार परामर्श केन्द्र (महिला सहायता प्रकोष्ठ) द्वारा 08 प्रकरणों में कराया गया सुलह-समझौता-

जनपद गोण्डा में पारिवारिक विवादों के निस्तारण एवं परिवारों में आपसी सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से परिवार परामर्श केन्द्र (महिला सहायता प्रकोष्ठ) द्वारा निरन्तर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 18.10.2026 (रविवार) को परिवार परामर्श केन्द्र जनपद गोण्डा में कुल 98 पत्रावलियों पर कार्यवाही की गई। जिनमें से 08 प्रकरणों में दोनों पक्षों को समझाकर आपसी सहमति एवं सुलह-समझौता कराया गया। परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा दोनों पक्षों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनकर पारिवारिक विवाद को आपसी बातचीत एवं सामंजस्य के माध्यम से समाप्त कराया गया तथा भविष्य में आपसी सौहार्द एवं शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने हेतु परामर्श दिया गया।

परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण-

सदस्यगण- श्री शशि कुमार भारती, श्री राजमंगल मौर्या।

अधिकारी/कर्मचारीगण- प्र०नि० अनीता यादव महिला थाना, wcs० प्रभारी प्रतिभा सिंह, म०हेड०का० कलावती, म० का० कसम यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 18-10-2026

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा गौवध निवारण अधिनियम के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्रवण कुमार शुक्ला पुत्र राम राखन शुक्ला ग्राम टेपरा मंगुरही थाना कटराबाजार जनपद गोंडा द्वारा थाना कटराबाजार पर लिखित तहरीर दी गई की दिनांक 22.09.2026 को वह गाय व गाय का बछिया को खेत में चारा चरने हेतु खूंट में बांधकर आया था। शाम को वापस लेने गया तो गाय की बछिया वहां से गायब थी जिसके संबंध में कुछ लोगों पर उनकी गाय की बछिया को काटकर उसका मांस बेचने का संदेह है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कटरा बाजार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 229/2026, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस एवं 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित वांछित अभियुक्त फिरोज अहमद पुत्र नान्हू नि0 ग्राम मंगुरही, थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा, को मैजापुर मोड़ बहद ग्राम गोड़री के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. फिरोज अहमद पुत्र नान्हू नि0 ग्राम मंगुरही, थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 229/2026 धारा 303(2) BNS व 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

1. उ०नि० श्री सौरभ सिंह
2. का० संदीप कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 18.10.2026

मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत बाल विवाह एवं सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाकर आमजन को किया गया जागरूक-

गोण्डा। शारदीय नवरात्रि वर्ष 2026 के अवसर पर मिशन शक्ति अभियान 6.0 के अंतर्गत बाल विवाह की रोकथाम एवं महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 18.10.2026 को थाना ए0एच0टी0 पुलिस टीम द्वारा अपराजिता सामाजिक समिति, वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड हेल्पलाइन एवं महिला कल्याण विभाग की संयुक्त टीम के साथ थाना कौड़िया क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायत उसरैना के ग्राम दाताराम पुरवा स्थित मंदिर परिसर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक एवं स्क्रीनिंग के माध्यम से बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल विवाह की रोकथाम, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार तथा विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के संबंध में ग्रामीण महिलाओं, बच्चों एवं आमजन को जागरूक किया गया। साथ ही बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने तथा किसी भी प्रकार की जानकारी होने पर संबंधित विभाग/पुलिस को सूचना देने हेतु प्रेरित किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हुए सुरक्षित एवं जागरूक समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की गई।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 18.10.2026

धारा 107 बीएनएसएस के तहत अभियुक्त फूल मोहम्मद की अपराध से अर्जित सम्पत्ति, अनुमानित कीमत करीब ₹1.08 करोड़, की कुर्की की कार्यवाही-

गोण्डा। थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 45/2026 धारा 319(2)/318(4)/336(3)/338/340(2)/316(5)/ 3(5)/61(2)(1) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण द्वारा अपराध के माध्यम से अर्जित सम्पत्ति के विरुद्ध नियमानुसार कुर्की/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण—

उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लि0, गोण्डा शाखा में ऋण वितरण में अनियमितता, धोखाधड़ी, कूटरचित अभिलेखों के प्रयोग, आपराधिक साजिश एवं बैंक की धनराशि के दुर्विनियोग के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 45/2026 पंजीकृत किया गया था। प्रकरण में बैंक की आन्तरिक विशेष ऑडिट रिपोर्ट में बैंक के विभिन्न खातों से कुल करीब ₹21.47 करोड़ की धनराशि के दुर्विनियोग का तथ्य प्रकाश में आया था।

कार्यवाही—

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक कृत्य कर अर्जित की गयी सम्पत्ति के धारा 107 बीएनएसएस के अन्तर्गत जब्तीकरण/कुर्की हेतु पुलिस अधीक्षक, गोण्डा द्वारा सम्बन्धित सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। मा0 न्यायालय अपर सिविल जज (प्रवर खण्ड)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-02, गोण्डा द्वारा दिनांक 13.08.2026 को सम्पत्ति के जब्तीकरण/कुर्की सम्बन्धी आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, गोण्डा द्वारा दिनांक 05.10.2026 को नियमानुसार कुर्की/जब्तीकरण की कार्यवाही एवं प्रश्रुत सम्पत्ति के उचित एवं प्रभावी प्रबन्धन हेतु उप जिलाधिकारी सदर, गोण्डा को प्रशासक नियुक्त किया गया। इसी क्रम में एसडीएम सदर गोण्डा एवं उनकी राजस्व टीम (लेखपाल/कानूनगो) तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त फूल मोहम्मद की चिन्हित सम्पत्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कुर्की/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

क़र्क की गयी सम्पत्ति का विवरण—

1. गाटा संख्या 729, क्षेत्रफल 0.1130 हे०, ग्राम गिर्द गोण्डा ग्रामीण — अनुमानित मालियत ₹54,01,000/-।
2. गाटा संख्या 82 मि०, क्षेत्रफल 0.3710 हे०, खिराभा सदर गोण्डा — अनुमानित मालियत ₹18,42,000/-।
3. गाटा संख्या 469, क्षेत्रफल 0.7890 हे०, खिराभा सदर गोण्डा — अनुमानित मालियत ₹28,33,000/-।
4. गाटा संख्या 469, क्षेत्रफल 0.7890 हे०, खिराभा सदर गोण्डा — दान विलेख से सम्बन्धित सम्पत्ति।
5. गाटा संख्या 477, क्षेत्रफल 0.1090 हे०, लक्ष्मनपुर जाट — अनुमानित मालियत ₹3,27,000/-।

उपरोक्त सम्पत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य करीब ₹1,08,08,000/- (एक करोड़ आठ लाख आठ हजार रुपये) है।

क़र्की कर्ता टीम—

एसडीएम सदर गोण्डा मय राजस्व टीम (लेखपाल/कानूनगो) एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर मय पुलिस टीम।

मीडिया सेल, गोण्डा।